



नियंत्रक कार्यालय
गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145

पत्रांक: वि.नि./2020/874

दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-132(1)/XXVII(7)2020/2016 दिनांक 29 मई, 2020 विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत/पुनर्नियुक्त/को-टर्मिनस के आधार पर नियुक्त अधिकारियों/कार्मिकों को उन्हें प्रतिमाह प्राप्त होने वाली कुल मासिक परिलब्धियों में से 01 दिन की परिलब्धि के समतुल्य धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किये जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-118(1)/XXVII(7)2020/2020 दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 में उपबन्धित व्यवस्था के क्रम में सक्षम अधिकारी की स्वीकृतिनुसार विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय फार्म में कार्यरत/पुनर्नियुक्त/को-टर्मिनस के आधार पर नियुक्त अधिकारियों/कार्मिकों के मासिक वेतन से की जा रही उक्त 01 दिन की वेतन कटौती को दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से समाप्त की जाती है।

अतः उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्न: यथोपरि शासनादेश।

नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)।
2. प्रोग्रामर/टीम लीडर एन.आई.सी./लेखाधिकारी, भुगतान/लेखाकार, वेतन प्रकोष्ठ।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

नियंत्रक